भारत सरकार/ Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग/ Secretariat Coordination Section
Anushakti Bhavan,
C.S.M Marg
Mumbai- 400 001
022-22862661
E-mail: sectcord@dae.gov.in

No.25/3/2024-SCS/ 6128 April 26, 2024

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: **परमाणु ऊर्जा विभाग में बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति का कार्यान्वयन**

Subject: Implementation of Equal Opportunity Policy for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in Department of Atomic Energy

****

परमाणु ऊर्जा विभाग में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए समान अवसर नीति की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

A Copy of Equal Opportunity Policy for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in Department of Atomic Energy is enclosed herewith.

2. सभी इकाइयों/पीएसयू/सहायता प्राप्त संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी इकाई /पीएसयू/सहायता प्राप्त संस्थानों में नीति अपनाएं और इसे अपनी वेबसाइटों और अन्य विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित करें।

All the Units/PSUs/Aided Institutions are hereby instructed to adopt the policy in their Unit/PSU/Aided Institution and display the same in their websites and other conspicuous places.

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्न/ Encl.: 4 पृष्ठ / Pages.

(बिपिन कुरुप/ Bipin Kurup)
अवर सचिव (एस.सी.एस)/ Under Secretary(SCS)

प.ऊ.वि के सभी घटक इकाइयों/पीएसयू/एआई के प्रमुख / All Heads of DAE Constituent Units/PSUs/AIs

प्रतिलिपि / Copy to:

1. **प.ऊ.वि के सभी घटक इकाइयों/पीएसयू/एआई के प्रशासनिक प्रमुख / All Administrative Heads of DAE Constituent Units/PSUs/AIs**
2. **प.ऊ.वि सचिवालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग- दर्पण पोर्टल / All Officers & Sections in DAE Secretariat. -DARPAN Portal**
3. **प्रमुख, सीआईएसडी - डीएई वेबसाइट पर नीति प्रदर्शित करने के अनुरोध के साथ / Head, CISD – with a request to display the Policy in DAE Website.**
4. **गार्ड फ़ाइल संख्या Guard File No.111/SCS-DAE**

भारत सरकार/ **Government of India**
परमाणु ऊर्जा विभाग/ **Department of Atomic Energy**
सचिवालय समन्वय अनुभाग/ **Secretariat Coordination Section**

Anushakti Bhavan,
C.S.M Marg
Mumbai- 400 001
022-22862661
E-mail: sectcord@dae.gov.in

EQUAL OPPORTUNITY POLICY FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES(PwBD) IN DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (DAE)

The Government of India has enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(RPwD Act) and notified the Right of Persons with Disabilities Rules, 2017 to give effect to the principles enshrined in the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (2006). Rule 8 of RPwD Rules, 2017 mandates that every establishment shall display the Equal Opportunity Policy on its websites and other conspicuous places. Accordingly, the Equal Opportunity Policy is hereby framed as follows.

2. SCOPE

It is the endeavour of this Department to ensure that person with disabilities have the right to equal opportunity at workplace and ensure a conducive atmosphere at workplace in effectively discharging their duties. This Department will strive to ensure that no discrimination of any sort in career progression or working opportunity is faced by an employee on the grounds of disability.

3. DEFINITIONS

The definitions of different terms used in this Policy will be as prescribed under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Right of Persons with Disabilities Rules, 2017. However, the scope of definition of Government Establishment and public building under this policy would not apply to areas which has been declared as "prohibited area" under the Atomic Energy Act due to strategic & safety reasons i.e, any area or premise where work including research, design or development is carried on in respect of the production, treatment, use, application or disposal of atomic energy or of any prescribed substance.

4. POLICY FRAMEWORK

Under the ambit of this policy, Department of Atomic Energy is committed to providing the following:

a) To ensure that the work environment is free from any discrimination against persons with disabilities, and that no opportunity is denied to persons with disabilities, only on the ground of the disability.
b) To provide reservation in appointments, as per Government of India instructions issued from time to time.
c) To supportively consider, to the extent possible, the request of persons with disabilities with respect to transfer during promotion and intra-transfer/posting, for optimally utilising their services.

d) To give preference, to the extent possible, to the requests by persons with disabilities for allotment of appropriate residential Government accommodation.
e) To initiate awareness and sensitization training programmes for employees.
f) To follow Government rules regarding Leave to employees to meet specific requirement of disabilities.
g) To provide any allowances admissible under Government Rules to disabled employees.
h) To make premises and office space accessible to disabled persons unless it is a deemed to be a restricted or prohibited place under Atomic Energy Act and will compromise the strategic interest of the country.
i) To provide appropriate Grievance redressal mechanism
j) This Policy shall be given appropriate publicity by being displayed prominently on websites of the Department.

5. GRIEVANCE REDRESSAL

The Department shall appoint an Officer not below the rank of Deputy Secretary as "**Nodal Liaison Officer for PwBD**" in DAE Secretariat. Further, each Unit/PSU/Aided Institution shall also appoint a Nodal Officer at Unit Level. The Officer shall be the nodal point for receiving and disposing of all grievances filed under this policy. The Nodal Officer shall investigate the complaint and shall take up the matter with the establishment for corrective action. Further, every complaint shall be enquired within 1 month of its registration.

The Officer shall maintain a record of complaints.

Individuals filing grievance shall be given an adequate opportunity of being heard by the Nodal Grievance Officer. If necessary, the hearing should be in the presence of the authority mandated by the Department for implementation of relevant suggestion/request.

****

भारत सरकार/ Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग/ Secretariat Coordination Section
अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan,
छ.शि.म.मार्ग C.S.M Marg
मुंबई Mumbai- 400 001
022-22862661
ई-मेल E-mail: sectcord@dae.gov.in

परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति

भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) को अधिनियमित किया है और दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (2006) में निहित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यांगजन के अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के नियम 8 में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक संस्थान अपनी वेबसाइटों और अन्य विशिष्ट स्थानों पर समान अवसर नीति प्रदर्शित करेंगे। तदनुसार, समान अवसर नीति निम्नानुसार तैयार की गई है।

2. **कार्यक्षेत्र**

इस विभाग का यह प्रयास है कि दिव्यांगजनों को कार्यस्थल पर समान अवसर का अधिकार मिले और उनके कर्तव्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन के लिए कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल सुनिश्चित करे। यह विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि किसी कर्मचारी को दिव्यांगता के आधार पर करियर में प्रगति या काम करने के अवसर में किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े।

3. **परिभाषाएं**

इस नीति में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन के अधिकार नियम, 2017 के तहत निर्धारित होंगी। हालाँकि, इस नीति के तहत सरकारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक भवन की परिभाषा का दायरा उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता जिन्हें रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत "निषिद्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है, अर्थात कोई भी क्षेत्र या परिसर जहां परमाणु ऊर्जा या किसी विहित पदार्थ का उत्पादन, उपचार, अनुप्रयोग या निपटान के संबंध में अनुसंधान, डिजाइन या विकास सहित कार्य किया जाता है।

4. **नीति फ्रेमवर्क**

इस नीति के दायरे में, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है:

(क) यह सुनिश्चित करना कि कार्य वातावरण दिव्यांगजन के लिए किसी भी भेदभाव से मुक्त हो, और दिव्यांगजनों को केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी अवसर से वंचित न किया जाए।

(ख) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करना।

(ग) पदोन्नति और आंतरिक स्थानांतरण/नियुक्ति के दौरान स्थानांतरण के संबंध में दिव्यांगजन के अनुरोध पर, जहां तक संभव हो, उनकी सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करना।

(घ) उचित आवासीय सरकारी आवास के आबंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों के अनुरोधों को, जहां तक संभव हो, प्राथमिकता देना।

बिपिन कुमार

(ङ) कर्मचारियों के लिए जागरूकता और संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(च) दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को छुट्टी के संबंध में सरकारी नियमों का पालन करना।

(छ) विकलांग कर्मचारियों को सरकारी नियमों के तहत स्वीकार्य कोई भी भत्ता प्रदान करना।

(ज) परिसर और कार्यालय स्थान को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना, जब तक कि इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित या निषिद्ध स्थान नहीं माना जाता है और यह देश के रणनीतिक हित से समझौता नहीं करेगा।

(झ) उचित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना

(ञ) इस नीति को विभाग की वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करके उचित प्रचार किया जाएगा।

5. <u>उचित शिकायत निवारण</u>

विभाग पऊवि सचिवालय में "**पीडब्ल्यूबीडी के लिए नोडल संपर्क अधिकारी**" के रूप में उप सचिव के पद से नीचे के एक अधिकारी को नियुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई/पीएसयू/सहायता प्राप्त संस्थान इकाई स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगा। इस नीति के तहत दायर सभी शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए अधिकारी नोडल बिंदु होगा। नोडल अधिकारी शिकायत की जांच करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मामले को संस्थान के समक्ष उठाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक शिकायत की उसके पंजीकरण के 1 महीने के भीतर जांच की जाएगी।

अधिकारी शिकायतों का रिकार्ड रखेगा।

शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों को नोडल शिकायत अधिकारी द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए। यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई प्रासंगिक सुझाव/अनुरोध के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा अधिदेशित प्राधिकारी की उपस्थिति में होनी चाहिए।

****

बिपिन कुमार